जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोपालगंज

फोन नं0– 06156–224767
Email-ID:- ddc-gopalganj-bih@nic.in

पत्रांक........................./अभि0
दिनांक.............../......./2019

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ ने अपने पत्रांक 1072 दिनांक 29.06.2019 द्वारा श्रीमती गोल्डी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–सवरेजी, प्रखण्ड–हथुआ का संविदा रद्द करने की अनुशंसा करते हुए उनपर निम्नलिखित आरोप गठित किया गया है :–

1. कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र से दिनांक 21.07.2018 से लगातार अनुपस्थित रहना।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 36 लाभुकों में एक भी लाभुक को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जाना एवं आवासों की संख्या शून्य होना।
3. पंजी का संधारण नहीं करना।

श्रीमती गोल्डी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–सवरेजी, प्रखण्ड–हथुआ की संविदा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ के द्वारा रद्द करने की अनुशंसा के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 558 दिनांक 20.06.2019, ज्ञापांक 642 दिनांक 02.07.2019 एवं ज्ञापांक 836 दिनांक 24.08.2019 द्वारा श्रीमती गोल्डी कुमारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। उक्त पत्रों द्वारा उन्हें यह निदेश दिया गया था कि आपसे स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह मान लिया जायेगा कि आपने अपना दोष स्वीकार कर लिया है। ऐसी परिस्थिति में आपकी संविदा रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी। श्रीमती कुमारी से उक्त स्पष्टीकरण का जवाब अबतक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के संबंध में जिला स्तर पर दिनांक 20.08.2018 (ज्ञापांक 1058 दिनांक 23.08.2018), दिनांक 13.09.2018 (ज्ञापांक 1351 दिनांक 03.10.2018), दिनांक 05.10.2018 (ज्ञापांक 1470 दिनांक 10.10.2018) एवं दिनांक 11.10.2018 (ज्ञापांक 1487 दिनांक 15.10.2018) को आयोजित बैठक में भी श्रीमती गोल्डी कुमारी अनुपस्थित पायी गयी एवं बैठक की कार्यवाही में दिये गये निर्देशों का अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि श्रीमती कुमारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत जिला/प्रखण्ड स्तर से दिये गये निदेशों की निरंतर अवहेलना की गई है, जो उनके कर्त्तब्यहीनता, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं घोर लापरवाही का द्योतक है।

अतः प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ द्वारा उपरोक्त वर्णित आरोपों एवं अनुशंसा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा की गई कारण पृच्छा का जवाब नहीं देने, जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों में अनुपस्थित रहने, कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश का अवहेलना करने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ किये गये एकरारनामा की कंडिका संख्या–10 के प्रावधान "The employer may terminate this contract without giving any notice in the event of 7 or more days of continuous unauthorized absence of the 2nd party." का उल्लंघन करने के आरोप में श्रीमती गोल्डी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–सवरेजी, प्रखण्ड–हथुआ का

Scanned by CamScanner

अनुबंध अनाधिकृत रुप (दिनांक 21.07.2018) से अनुपस्थित रहने की तिथि से रद्द करते हुए उन्हें चयन मुक्त किया जाता है। यदि वे चाहें तो रद्द आदेश के विरुद्ध अपील विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अन्दर कर सकती हैं।

ह०

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 1024 / दिनांक 11.10.19 /

प्रतिलिपि :– श्रीमती गोल्डी कुमारी, ग्रामीण आवास सहायक, ग्राम पंचायत राज–सवरेजी, प्रखण्ड–हथुआ को सूचनार्थ एवं उपरोक्त आदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला–गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हथुआ को निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र का तामिला संबंधित कर्मी को अपने स्तर से कराते हुए प्रतिवेदन प्रेषित करें तथा उनसे संबंधित प्रभार यथा–मोबाईल, अभिलेख/संचिका, पंजी आदि प्रभार प्राप्त कर सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से सभी प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया को सूचित करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, गोपालगंज को जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज/हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

Scanned by CamScanner